संख्या-04/2017-सा-3-93/दस-2017

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
8 वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2017

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ "निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश" के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "चालू खाता" खोला जाना।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित अधोलिखित मामलों में एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक द्वारा राज्य सरकार को धनराशियां वापस की जायेंगी :-

(1)- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने अथवा उसे पदच्युत कर दिये जाने पर शासनादेश संख्या-सा-3-465/दस-2014-301(9)/11 दिनांक 19.05.2014 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-1192/दस-2016 दिनांक 14.01.2016 के अनुसार।

(2)- एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी कार्मिक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी विषयक शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(09)/2011 दिनांक 19.05.2016 के प्रावधानों के अधीन उसके परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण किये जाने पर।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- शासनादेश संख्या - सा- 3 -1671/ दस -2010-301(09)/ 2003 टी0सी0, दिनांक 16-09-2010 तथा शासनादेश संख्या-13-सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31-10-2014 के प्रस्तर-1 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किसी कार्मिक के वेतन से की गयी कटौतियों के मामलों में ।

(4)- एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी कार्मिक के PRAN में नियोक्ता (राज्य सरकार) अंशदान के रूप में अनुमन्य धनराशि से अधिक जमा धनराशि के मामलों में।

2- इस विषय में आपके पत्रांक- पे0 नि0/ एन0 पी0 एस0-1/NSDL मीटिंग 15-06-2016/बैंक खाता/2016-17/1157, दिनांक 17 फरवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0एफ0आर0डी0ए0/एन0एस0डी0एल0 के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते में जमा धनराशि राज्य सरकार को वापस किये जाने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित "स्टेट नोडल ऑफिसर" अर्थात् "निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश" के पदनाम से बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है। उपर्युक्त सभी मामलों में, एन0पी0एस0 खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् अभिदाता अंशदान, नियोक्ता अंशदान तथा उन पर रिटर्न की संचित धनराशियां उपर्युक्तानुसार खोले गये बैंक खाते में एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी।

3- आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2017 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ "निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश" के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में “चालू खाता” खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- खाता संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

(1)- उक्त बैंक खाते का संचालन "डुअल सिग्नेटरी" द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निदेशक, पेंशन द्वारा पेंशन निदेशालय के समूह 'क' के दो अधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा।

(2)- किसी प्रान खाते में जमा धनराशि निदेशक, पेंशन निदेशालय के नाम खुले बैंक खाते में प्राप्त होने पर, ऐसे मामले जिनमें अभिदाता अंशदान का भुगतान अभिदाता को किया जाना है, उनमें अभिदाता अंशदान (रिटर्न सहित) की राशि निदेशक, पेंशन द्वारा अभिदाता के बैंक अकाउण्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अन्तरित कर दी जायेगी।

(3)- राज्य सरकार के खाते में जमा की जाने वाली राशि निदेशक, पेंशन द्वारा "ई-राजकोष पोर्टल" का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी।

(4)- निदेशक पेंशन द्वारा उक्त बैंक खाते में जमा / भुगतान का पृथक से लेखा जोखा रखा जायेगा।

(5)- निदेशक, पेंशन द्वारा प्रत्येक माह एन0एस0डी0एल0 / ट्रस्टी बैंक से प्राप्त धनराशि, अभिदाता के प्रान बैंक खाते तथा राजकोष में जमा की गयी धनराशि का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

--4--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2017-सा-3-93(1)/दस-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, कोषागार/वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय/वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण शोध संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, पेंशन निध विनियामक और विकास प्राधिकरण, वी-14/1, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016
7- सहायक उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0, ट्रेड वल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।